न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 419/2015
GCMS NO. : 2015/00144

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. कानाराम पुत्र चुन्नीलाल
जातियान– माली निवासीगण– बेरा देवड़ा कृषि भूमि निमाज, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र बींजा
2. राजुराम पुत्र चुन्नीलाल
3. शांतिदेवी पत्नी राजुराम
4. कंचनदेवी पुत्री चुन्नीलाल
5. विमला पुत्री चुन्नीलाल
जातियान– माली निवासीगण– बेरा देवड़ा कृषि भूमि निमाज, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर।
6. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए एवं काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू.07/09/2015

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री शंकरलाल कुमावत, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 26/09/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2,4,5 सगे भाई–बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल के वारिसान है। वंशावली प्रार्थना–पत्र में अंकित है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर एक में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 13–14 बीघा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 7–03 बीघा, खसरा नम्बर 1234 रकबा 3–13 बीघा, खसरा नम्बर 1235 रकबा 50–10 बीघा, खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 0–04 बीघा व खसरा नम्बर 1231 रकबा 4–02 बीघा किस्म चाही प्रथम आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्से [illegible] मौके पर कब्जाकाश्त है। वाद में दर्ज कृषि भूमि [illegible] पिता की आराजी में उनके विधिक वारिसान का जन्म से [illegible] अधिनियम के [illegible] हक व अधिकार कानूनन मिलते हैं। [illegible] की आयु 75 [illegible], जो बिना किसी जायज जरुरत के अपने हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1235 में से प्रतिवादी संख्या दो को 15/252 वां हिस्से का बैचान किया व अब और

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण

कृषि भूमि किसी अजनबी को बेचने पर उतारु है। जबकि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पूर्वजों से मिली है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 पैतृक पुश्तैनी भूमि को किसी को बेचान कर देते हैं, तो वादीगण अपने जायज हक, अधिकारों से महरुम होंगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 की 1/4 हिस्से की भूमि पर उनके विधिक वारिसान का मौके पर माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है, जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों संवत् 2024-2027 से लेकर संवत् 2049-2052 तक की पेश है। उक्त भूमि में बींजा पुत्र नरिंग की मृत्यु होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 917 के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई। वादीगण ने पैतृक, पुश्तैनी भूमि में माफिक हिस्सेनुसार अपना नाम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 01.08.2015 को प्रतिवादी संख्या 01 को कहा तो इन्कार हुए। उक्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने की व वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 पैतृक, पुश्तैनी भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने बाबत् विक्रय विलेख उपपंजीयन अधिकारी के समक्ष पेश करें तो उसका पंजीयन नहीं करें, यदि पंजीयन कर देवे तो तहसीलदार क्रेता के पक्ष में म्यूटेशन पारित नहीं करे। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जायें। विनायवाद दिनांक 01.08.2015 को वादीगण ने पैतृक, पुश्तैनी भूमि में अपने हिस्सेनुसार नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए व अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर बमुकाम निनाज तहसील जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 काउन्टर क्लेम व जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने काउन्टर क्लेम व जवाब दावा में कथन किया कि वादीगण ने जान बूझकर गलत व झूठी चुन्नीलाल की वारिसान की वंश वंशावली पेश की है। चुन्नीलाल की सही वंशावली अनुसार चुन्नीलाल वल्द बींजाराम के 3 पुत्र क्रमशः मदनलाल, कानाराम, राजुराम व 2 पुत्रियां क्रमशः कंचन देवी पत्नी गंगाराम व विम[illegible] प्रतिवादी चुन्नीलाल जिनकी खातेदारी कृषि भूमि बेरा मदन[illegible] विवरण केवल मात्र खसरा 1235 कुल रकबा 5[illegible] बीघा [illegible] में से मात्र 20 बीघा जमीन का एक मात्र खातेदार काश्तकार मय कब्जा काश्त व बेरा मदन सागर मय मकानात स्थित है, राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। परन्तु चुन्नीलाल की खातेदारी कृषि भूमि अलग से मेड़-बन्दी करी हुई है। उसके अनुसार उनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

कब्जा काश्त स्थित है। वाद पत्र में वर्णित तथ्य सही है कि प्रतिवादी ने अपने हक व अधिकार की खातेदारी की कृषि भूमि नाप-चौप करके अलग करके चारों ओर मेडबन्दी व खंदक लगाई हुई है तथा उनमें से 15 बिस्वा कृषि भूमि मय मकान कुआँ सहित मेरी पुत्र वधु को बक्शीशनामा पंजीबद्ध करवाया है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 मात्र मालिक व हक व अधिकार की कृषि भूमि मय मकान मय कुआँ अपनी जीवन भर मेहनत से किया है। वादी संख्या 1 को विज्ञान विषय की डिग्री करवाई तथा बी.एड. करवाई तथा दो शादियाँ करवाई, जिसमें लाखों रुपयों का कर्ज हो गया। जबकी वादी संख्या 1 जानबूझकर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दुर्व्यवहार करता आ रहा है। वादी संख्या 2 ने कई बार मारपीट करने जैसा आपराधिक कृत्य भी कर चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपनी कठोर मेहनत की कमाई से मकान बनवाया, कुँआ खुदवाया, बिजली का कनेक्शन लिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजुराम मंदबुद्धी होने, अनपढ़ होने का वादीगण बेजा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बार-बार एलानिया धमकीयाँ देते रहते है कि प्रतिवादी संख्या 1 के मरने उपरान्त मकान से बेदखल कर भगा देंगे। इस कारण वादीगण की आपराधिक प्रवृति की वजह से तंग परेशान होकर मकान मय कुआँ मय मवेशियों का बाड़ा सहित भू-भाग 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की संतुष्टि के लिए तथा अपने छोटे पुत्र राजुराम की सुरक्षा हेतु शांति देवी अपनी पुत्रवधू के नाम बक्शीशनामा रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता पड़ी। वादीगण संख्या 1 व 2 ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 का भरण-पोषण नहीं किया, न ही वादी संख्या 1 व 2 ने पारिवारिक खर्चा उठाया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी संख्या एक 01 व 02 ने जबरन मकान बना लिया व उद्योग भी लगा दिया। वादी संख्या 1 ने जबरन मेरी खातेदारी भूमि में मकान व बोरिंग खुदवा दिया। वादी संख्या 1 ने मेरी बिना जानकारी में मेरी खातेदारी जमीन में अदिति उद्योग चलाते है। वादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा लाने का अधिकार ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 खसरा संख्या 1235 में हिस्सा 1/2 यानि 19 बीघा 18 बिस्वा का मुख्य खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने जीवन यापन करने तथा पारिवारिक खर्चे नहीं उठाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 पुत्रियों का हिस्सा भी निहित होने की वजह से उनका सामाजिक कार्यक्रम का खर्च उठाने के लिए एक मात्र जरिया कृषि भूमि ही है। क्योंकी वादी संख्या 1 व 2 मेरी खातेदारी भूमि का केवल मात्र दुरपयोग ही करते है। वादीगण ने सभी तथ्य न्यायालय हाजा से छिपाया है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी संख्या 1 व 2 ने अपना रहवासी मकान 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को पूछ कर बनवाया है क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि का मात्र प्रतिवादी संख्या 1 ही खातेदार है। प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त आपत्ति अंकित कर निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा का चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 मात्र राजस्व रेकर्ड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

रिकार्डेड खातेदार होने से जीवित काल में ही वादीगण को घोषणा दावा लाने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने जान बुझकर खसरा संख्या 1231, 1233, 1234, 1232, का उल्लेख किया जिस पर प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण इन खसरा संख्या 1231, 1233, 1234, 1232 से आउट ऑफ पजेशन होने से घोषणा दावा लाने का अधिकारी नहीं है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में पैतृक हिस्सा चुन्नीलाल का पुत्री कंचन देवी, विमला हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत कानुन हक व अधिकार से वंचित करने का अधिकार नहीं है। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसानों पुत्रियों को पक्षकार नही बनाने की वजह से उक्त दावा घोषणा, स्थाई निषेधाषा कानूनन चलने के योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का कब्जा काश्त रहवास खसरा संख्या 1234, 1235/1 पर है। प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अपने पुत्रवधू के नाम मकान, बिजली, घर, कुआँ, बाडा व आगे के भू-भाग का बख्शीश किया उसको नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम किये जाने के योग्य है।

वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जो शा.मि. है।

वादीगण ने अपने जवाब काउन्टर क्लेम में कथन किया कि प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम में अंकित वंशावली को अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सिद्ध करें तथा वादीगण ने उक्त भूमि में अपने हक अधिकारों के लिये वादपत्र पेश किया। जिन्हे वादपत्र पेश करने का कानूनी हक व अधिकार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सभी खातेदारान की शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका खातेदारान द्वारा बंटवाडा करवाने के उपरान्त ही हक अधिकार प्राप्त होते है। बिना बंटवाडा करवाये प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच की भूमि पर अधिकार होता है। खसरा नम्बर 1235 रकबा 50-10 बीघा भूमि में वक्त सेटलमेन्ट से बंटवाडा होकर खसरा नम्बर 1235 रकबा 19-17 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में है तो भी उसका कानूनन बंटवाडा किया जाना आवश्यक है तथा वादीगण का भी वादपत्र में वर्णित भूमि पर अपने हक-हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 1235 रकबा 50-19 बीघा में से 0-15 बीघा भूमि जब राजस्व रेकर्ड में खातेदारान के बीच शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसका बिना कानूनी बंटवाडा करवाये प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 को संयुक्त परिवार की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति जरिये बक्शीश की गई, जो गलत व गैरकानूनी है तथा वादीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर है। जो बक्शीशनामा कानूनन शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि [illegible] का अधिकार है, जबकि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त शामलाती भूमि को [illegible] बक्शीश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा [illegible] भूमि में मकान मय कुआँ बनाने के कथन किये, जो भी गलत है [illegible] उक्त भूमि पर कुआँ पैतृक पुश्तैनी पूर्व से ही खुदा हुआ था तथा रहवासी मकान भी पूर्णतया कच्चे बने हुए थे जो अपने पिता बींजाराम की मृत्यु होने पर जरिये विरासत में उन्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस पद में राजूराम के लिए मंदबुद्धी होना, अनपढ होने के कथन भी गलत किये है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 आठवीं कक्षा पढ़ा लिखा व स्वस्थ्य चित व्यक्ति है। मंदबुद्धि होने बाबत् ऐसा कोई चिकित्सक प्रमाण-पत्र भी पेश नहीं किया है। वादीगण के लिये प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि व मकान से बेदखल कर भगाने के कथन भी गलत किये हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मारपीट व आपराधिक प्रवृति के होने के कथन भी गलत व झूठे किये है। जबकि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्ण मान व सम्मान करते हैं, सेवा आदि करते है। प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से वादीगण के पास ही रहते है तथा उनका भरण पोषण करते है। प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण संख्या एक के लिये शिक्षा दिलाने के कथन किये, जो सही है तथा शिक्षा दिलाना पिता का एक नैतिक कर्त्तव्य है। वादीगण संख्या 1 सरकारी नौकर है तथा नियमित रूप से विद्यालय में सेवा देता है तथा बच्चों को अध्ययन करवाता है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण संख्या 1 के लिये खातेदारी भूमि मे अदिती उद्योग चलाने के कथन भी गलत अंकित किये है। जबकि अदिती उद्योग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का है, वह स्वयं चलाते है। प्रतिवादीगण द्वारा इस पद मे अंकित कथनों का इस वादपत्र की विषयवस्तु से कोई रिलीवेन्सी नहीं होने से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वादीगण संख्या 1 अपनी सेवा में किसी प्रकार की कौताही करता है तो अलग से उसके विरूद्ध शिकायत करने का उपचार है। वादीगण को अपने पिता द्वारा वादपत्र मे वर्णित अपने हक-हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या एक की सहमति से काश्तकारी अधिनियमों की पालना करते हुए एक रहवासी मकान/पशुओं के लिये चारा, अनाज आदि डालने के लिये मकान बनाया है उसी मकान में मय परिवार प्रतिवादी संख्या एक के साथ रहते है। वादपत्र में वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से उसमें वादीगण का कानूनन हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जन्म से ही हक व अधिकार होने से अपने हक व अधिकारों के लिये वादपत्र पेश करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी की भूमि को बिना बंटवाडा करवाये प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को फायदा पहुंचाने की नियत से यदि कोई गैरकानूनी कृत्य करता है तो वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु तथा अपने हक-हिस्से के लिये वादपत्र पेश करने का कानूनी अधिकार है। प्रतिवादीगण द्वारा इस काउन्टर क्लेम के जरिये यह कथन करना कि प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनयापन करने, पारिवारिक खर्च उठाने व पुत्रियों को उनके सामाजिक कार्यक्रम व आय अर्जित करने का एक मात्र उक्त कृषि भूमि है, के कथन भी गलत, झूठे व मनघडन्त अंकित किये है। जबकि प्रतिवादी संख्या एक पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से वादीगण के पास ही रहते है तथा उनका भरण पोषण करते है तथा गत पिछले 20 वर्षो के जो भी उनकी बहनों के मायरा व अन्य खर्च आदि भी वादीगण ने अपने स्वयं की कमाई से किये है। वादपत्र मे वर्णित भूमि में वादीगण का माफिक हक-हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

पर वो काबिज है तो फिर प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के भी अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी भूमि 0-15 बीघा जो बक्शीश की गई, गलत गैरकानूनी तथा वादीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 3 के पक्ष मे की गयी बक्शीश शून्य एवं निष्प्रभावी है। तथा उनका रहवासी मकान पूर्व से ही बना हुआ है, तो फिर वादग्रस्त भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि में अकृषि कार्य कर पक्का मकान बनाया है, जो गलत व गैरकानूनी है। अतिरिक्त आप्पत्तियों का जबाब है कि वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी है जो वादपत्र मे प्रस्तुत जमाबन्दीयों से साबित है। वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल में अपने हक-हिस्से की भूमि में घोषणा का वादपत्र करने का कानूनी अधिकार है। वादपत्र में वर्णित भूमि में से वादीगण का अपने हक-हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में चुन्नीलाल के अन्य वारिसान अपने अधिकारों के लिये वादपत्र पेश करें, स्वतन्त्र है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध मात्र धारा 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादत्रप पेश किया है, जो पोषणीय है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जो जबाब वादपत्र के साथ पेश किया है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है इसके लिये प्रतिवादीगण को अलग से काउन्टर पेश करना चाहिये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में बंटवाडा का अनुतोष चाहा है जिसमें प्रतिवादीगण ने तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव मे भी काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत दो प्रतियों में पेश होना आवश्यक है जिसके अभाव में भी प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का शीर्षक भी अधूरा है इस कारण से भी कानूनन काउन्टर क्लेम पोषणीय नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश पंचारिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की वकील श्री शंकरलाल कुमावत व प्रतिवादी संख्या 4, 5 की वकील श्री जगदीश सोलंकी ने की। बाद राजीनामा पृथक से तकमील किया जाकर शा.मि. किया गया। राजीनामा में उभयपक्ष द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान के मुकदमे में वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादी राजूराम, कंचनदेवी, विमला, प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल के वारिसान है। उक्त मुकदमे में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी समझाईस से आपस में इस आशय का राजीनामा कर लिया है [illegible] मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1231 रकबा 13-14 बीघा (2.2177 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1233 रकबा 7-03 बीघा (1.1574 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1234 रकबा 3-13 बीघा (0.5908 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 4-04 बीघा (0.0324 हैक्टेयर) गै0मु0

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.9983 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी संख्या 1 मदनलाल, 2 कानाराम का 1/24, 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, 2 राजूराम, 4 कंचनदेवी, 5 विमला प्रत्येक का 1/24 हिस्से की भूमि बंटवाडे मे रखी गई है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर एक में स्थित खाता संख्या 253 खसरा नम्बर 1235 रकबा 50-10 बीघा (8. 1746 हैक्टयर) कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल द्वारा अपनी पुत्रवधु शांति पत्नी राजुराम के पक्ष मे 15 बिस्वा (10/672 वां हिस्सा) या 5/336 वां हिस्सा का बक्शीशनामा करवाने से वादी संख्या 1 मदनलाल को 10/672 एवं वादी संख्या 2 कानाराम को 10/672 की जमीन राजीनामा के अनुसार देने के बाद शेष बची जमीन 138/672 में से वादी संख्या 1 मदनलाल व 2 कानाराम को 23/672, 23/672 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, प्रतिवादी संख्या 2 राजूराम व प्रतिवादी संख्या 3 कंचन, प्रतिवादी संख्या 4 विमला को क्रमशः को 23/672, 23/672, 23/672, 23/672 हिस्से की भूमि देने पर वादी संख्या 1 व 2 को कुल 23/672 + 10/672 =33/672, 33/672 हिस्सा रहेगा। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित खाता संख्या 255 खसरा नम्बर 1232 रकबा 4-02 बीघा (0.6637 हैक्टयर) भूमि में वादी संख्या 1 मदनलाल, 2 कानाराम प्रत्येक का 1/24, 1/24 तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, 2 राजुराम, 4 कंचन व 5 विमलादेवी प्रत्येक का 1/24 वां हिस्से की भूमि आपसी राजीनामा अनुसार बंट में रखी गई । उक्त सम्पूर्ण भूमि के 1/4 वें हिस्से के खातेदार चुन्नीलाल पुत्र बींजाराम है, जिन्होनें अपने जीवनकाल में अपने वारिसान द्वारा आपसी सहमति से आपस में उपर बताये अनुसार राजीनामा कर उपरोक्त अनुसार भूमि बंट में रखी गई है। उपरोक्त राजीनामा अनुसार पक्षकारान् वादपत्र डिकी किया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अनुसार राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार वादपत्र डिकी किया जावे।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88,92ए एवं काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम निमाज की जमाबन्दी संवत् 2024-2027 में तत्कालीन खातेदार नणीग वल्द आईदान वादग्रस्त आराजी के अंकित में काश्तकार थे। तत्पश्चात म्यूटेशन संख्या 296 के द्वारा जमाबन्दी संवत् 2028-2031, 2032-2035 में तत्कालीन खातेदार बीजा वल्द नणीग 1/2 हिस्से में रहे। जमाबन्दी संवत् 2032-2035 में अंकित नामान्तकरण संख्या 916 के नोट अनुसार जरिये बक्शीश चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2036-2039 में अंकित नामान्तरकण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: Self Attested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण(

नोट के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 1186, 1187, 1188 दिनांक 03/08/1983 बैचान से चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/4 वां हिस्सा व अन्य खातेदारान चांदादेवी पत्नी जयनारायण 1/12, कैलाशचन्द, नरसिंह पुत्र जयनारायण 1/12, नन्दकिशोर पुत्र जयनारायण, बाबुलाल पुत्र जयनारायण 1/12 वां हिस्सा दर्ज किया गया। साथ ही खसरा संख्या 1230 का सम्पूर्ण हिस्सा चुन्नीलाल पुत्र बींजा द्वारा बैचान किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1235 में प्रतिवादी संख्या 01 चुन्नीलाल पुत्र बींजाराम 79/336 वां हिस्से के खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 1231, 1232, 1233, 1234, 1235/1 में प्रतिवादी संख्या 01 चुन्नीलाल पुत्र बींजाराम 1/4 वां हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

2. चुंकि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है तथा सगे सम्बन्धी है जिन्होनें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व समाज के लोगों की आपसी समझाईस से राजीनामा कर लिया है।

3. राजीनामा में वर्णित तथ्यों को उभयपक्ष के रूबरू पढा गया, जिसे उभयपक्ष ने सुन समझकर सही व सत्य होना स्वीकार किया व राजीनामा में किये गए कथन के समर्थन में वादी, प्रतिवादीगण व उभयपक्ष अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। खसरा नम्बर 1231 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.5908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.9983 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से वादी संख्या 1 मदनलाल, 2 कानाराम का 1/24, 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, 2 राजूराम, 4 कंचनदेवी, 5 विमला प्रत्येक का 1/24 हिस्से की भूमि बंटवाडे में रखी गई है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर एक में स्थित खसरा नम्बर 1235 रकबा 8.1746 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 79/336 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल द्वारा अपनी पुत्रवधु शांति पत्नी राजुराम के पक्ष मे 15 बिस्वा का बक्शीशनामा करवाने से वादी संख्या 1 मदनलाल को 10/672 वां एवं वादी संख्या 2 कानाराम को 10/672 वां की जमीन राजीनामा के अनुसार देने के बाद शेष बची जमीन 138/672 वां में से वादी संख्या 1 मदनलाल व 2 कानाराम को 23/672, 23/672 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, प्रतिवादी संख्या 2 राजूराम व प्रतिवादी संख्या 4 कंचन, प्रतिवादी संख्या 5 विमला को क्रमशः को 23/672, 23/672, 23/672, 23/672 वां हिस्से की भूमि देने पर वादी संख्या 1 व 2 को कुल 23/672 + 10/672 =33/672, 33/672 वां हिस्सा रहेगा। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

1 में स्थित खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से वादी संख्या 1 मदनलाल, 2 कानाराम प्रत्येक का 1/24, 1/24 तथा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल, 2 राजुराम, 4 कंचन व 5 विमलादेवी प्रत्येक का 1/24 वां हिस्से की भूमि आपसी राजीनामा अनुसार बंट में रखी गई ।

4. पत्रावली मय संलग्न वादग्रस्त आराजी की नवीनतम जमाबंदी संवत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। काउन्टर क्लेम के वादीगण द्वारा नवीनतम जमाबंदी में अभिलिखित सभी सह–खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। मूल वाद के प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 01 चुन्नीलाल पुत्र बींजा के ही वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। काउन्टर वाद में मूल वाद के प्रतिवादीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। किसी भी अविभाजित आराजी के विभाजन हेतु प्रत्येक सह–खातेदार आवश्यक पक्षकार होता है। अतः काउन्टर क्लेम के वादीगण (मूल वाद के प्रतिवादीगण) द्वारा वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित सभी सह–खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से बंटवाडा का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि संम्मत नहीं समझते है।

इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1231 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.5908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा कृषि भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/4 वां हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से वादी संख्या 1 व 2 का 1/24, 1/24 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्से रहेगा। इसी प्रकार सरहद मौजा निमाज चक नम्बर एक में स्थित खसरा नम्बर 1235 रकबा 8.1746 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 79/336 वां हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीलाल द्वारा अपनी पुत्रवधु शांति पत्नी राजुराम के पक्ष मे 15 बिस्वा भूमि का बक्शीशनामा करवाने से राजीनामा अनुसार वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 10/672 वां की जमीन राजीनामा के अनुसार देने के बाद शेष बची जमीन 138/672 वां में से वादी संख्या 1, 2 को 23/672, 23/672 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] 4 [illegible] क्रमशः को 23/672, 23/672, 23/672, 23/672 वां हिस्से [illegible] भूमि [illegible] पर वादी संख्या 1 व 2 को कुल 23/672+10/672=33/672, 33/672 वां हिस्सा रहेगा। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित [illegible] 1232 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी चुन्नीलाल पुत्र बींजा 1/4 वां हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्से की भूमि आपसी राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। काउन्टर क्लेम के वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित सभी सह–खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से बंटवाडा का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं समझते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजीनामा के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार एवं अभिलिखित सभी सह–खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से बंटवाडा का अनुतोष अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अनुतोष खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज–I, पटवार हल्का निमाज–I, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1231 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.5908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के 1/4 वां हिस्से में वादी संख्या 1 व 2 का 1/24, 1/24 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा निमाज चक नम्बर एक में स्थित खसरा नम्बर 1235 रकबा 8.1746 हैक्टयर कृषि भूमि में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के 79/336 वां हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक को 23/672 वां हिस्सा एवं वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 33/672 वां हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। सरहद मौजा निमाज चक नम्बर 1 में स्थित खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के 1/4 वां हिस्से में से वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उभयपक्ष को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, [illegible] एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के कब्जे [illegible] एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल [illegible] करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/09/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि अनुसार मूल

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ,**
मुकाम :- **जैतारण जिला ब्यावर**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: **वादीगण** :- **बनाम** -: **प्रतिवादीगण** :-

1. मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. कानाराम पुत्र चुन्नीलाल
जातियान- माली निवासीगण- बेरा देवड़ा कृषि भूमि निमाज, तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।

बनाम

1. चुन्नीलाल पुत्र बींजा
2. राजुराम पुत्र चुन्नीलाल
3. शांतिदेवी पत्नी राजुराम
4. कंचनदेवी पुत्री चुन्नीलाल
5. विमला पुत्री चुन्नीलाल
जातियान- माली निवासीगण- बेरा देवड़ा कृषि भूमि निमाज, तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।
6. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 419/2015

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए एवं काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री शंकरलाल कुमावत, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजीनामा के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार एवं अभिलिखित सभी सह-खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से बंटवाडा का अनुतोष अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अनुतोष खारिज किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज-I, पटवार हल्का निमाज-I, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1231 रकबा 2.2177 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.5908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235/1 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के 1/4 वां हिस्से में वादी संख्या 1 व 2 का 1/24, 1/24 का हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 प्रत्येक का 1/24 का हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। इसी प्रकार सरहद मौजा निमाज नम्बर एक में स्थित खसरा नम्बर 1235 रकबा 8.1746 हैक्टयर कृषि भूमि में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

79/336 वां हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक को 23/672 वां हिस्सा एवं वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 33/672 वां हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। सरहद मौजा निमाज-I में स्थित खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.6637 हैक्टयर भूमि में चुन्नीलाल पुत्र बींजा के 1/4 वां हिस्से में से वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 प्रत्येक का 1/24 वां हिस्सा दर्ज करते हुए इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। उभयपक्ष को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/09/2023 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	5.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	14.00	मिजानः-	4.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:29 IST
Reason: SelfAttested